कार्यालय महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प.11(01)प्रशि / पॉलिसी / 2021 / 2965   दिनांकः– 16/4/2021

स्थाई आदेश क्रमांकः– 12 / 2021

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27 (3) के तहत हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पुलिस के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम के लिए चयनित अभ्यर्थियों को पदोन्नति संवर्ग प्रशिक्षण कराने हेतु स्थाई आदेश क्रमांक 04 / 2015 द्वारा 09 सप्ताह (63 दिन) का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में पुलिस के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों से निपटने एवं समय की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त स्थाई आदेश के अतिक्रमण में हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक पुलिस पद की पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम की अवधि को 45 दिन की करते हुए संलग्न पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

15/4

(एम.एल. लाठर)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
8. प्रधानाचार्य, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, किशनगढ।
9. समस्त कमाण्डेंट, आर्म्ड बटालियन्स, राजस्थान।
10. समस्त कमाण्डेंट, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, राजस्थान / पीसीटीएस, जोधपुर / पीएमडीएस, बीकानेर।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस

हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक

पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

1	कुल अवधि	45 दिन
2	राजपत्रित अवकाश (रविवार एवं द्वितीय शनिवार)	08 दिन
3	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षा	02 दिन
4	इण्डोर परीक्षा	02 दिन
5	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध दिन	33 दिन
6	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए कालांश (प्रतिदिन 06 एवं शनिवार को 04 कालांश)	190 कालांश
7	बहिरंग प्रशिक्षण लिए कालांश 33X03	99 कालांश
8	खेल कालांश 33X01	33 कालांश

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम 33 दिवस का होगा। इस अवधि में राजपत्रित अवकाश अथवा कानून व्यवस्था ड्यूटी आने पर तद्नुसार उतने दिन तक की प्रशिक्षण समयावधि बढाई जाएगी।

इण्डोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम	वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान	50	100
द्वितीय	विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही	50	100
तृतीय	पुलिस थाना/पुलिस लाईन/विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं सामयिक विषय	50	100
चतुर्थ	कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली	40	100
	कुल	190	400

आउटडोर प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रश्न पत्र	विषय	कालांश	पूर्णांक
प्रथम	शारीरिक प्रशिक्षण, ड्रिल एवं भीड़ नियंत्रण	30	100
द्वितीय	ड्रिल, टेक्टिस ऑपरेशन एवं भीड़ नियंत्रण	39	100
तृतीय	शस्त्र प्रशिक्षण, एवं मस्केट्री	30	100
	कुल	99	300

आन्तरिक मूल्यांकन (50 अंक)

क्र.सं.	विषय एवं संदर्भ
1	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रुचि
2	अनुशासन

इण्डोर प्रथम प्रश्न पत्र

वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं अनुसंधान

पूर्णांक 100

कालांश 50

मॉड्यूल एक – वृहद् अधिनियमों की सामान्य जानकारी – 20 कालांश

अ – भारतीय दण्ड संहिता

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	धारा 21 से 25, 34, 52क, 75, धारा 76 से 106	2
2	धारा 107 से 117, 120ए, 120बी, 141 से 149, 166ए एवं 166बी	2
3	धारा 295 से 298, 319 से 327, 332, 353, 509, 511	4

ब – दण्ड प्रक्रिया संहिता

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	परिभाषाऐं–धारा 2, धारा 41 से 60	2
2	लोक शान्ति संबंधी प्रावधान 106 से 124, 129 से 152	2
3	धारा 100, 102, 436 से 439, 467 से 473	4

स – भारतीय साक्ष्य अधिनियम

क्रम सं.	विषय वस्तु	कालांश
1	परिभाषाऐं, धारा 3, 4, 23 से 27	2
2	धारा 45 से 47, 65ए, 65बी, 113ए, 113बी, 114ए, 118 से 134, 159, 160	2

वृहद् अधिनियमों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के नवीनतम न्याय निर्णयों तथा इनमें हुए नवीन संशोधनों एवं प्रक्रियात्मक परिवर्तनों की जानकारी दी जानी है।

मॉड्यूल–दो–अनुसंधान :– सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कालांश– 30

अ – अनुसंधान (विधिक प्रावधान) कालांश–04

दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 से 176, 299, 82, 83

ब – व्यावहारिक कार्य कालांश–06

अनुसंधान का व्यावहारिक कार्य – प्रथम सूचना रिपोर्ट, कार्यवाही पुलिस, घटनास्थल का निरीक्षण, साक्ष्य संकलन, सबूतों की सुरक्षा, नक्शा मौका, बयान, पंचायतनामा, फर्द गिरफ्तारी, केस डायरी, सफीना, रिमाण्ड, अंतिम रिपोर्ट।

स – विभिन्न प्रकरणों का अनुसंधान

1. महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण व छेडछाड कालांश–04
   - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 376, 506, 509 एवं नवीनतम संशोधन
   - पीडिता के बयान लेखबद्ध करना, चिकित्सकीय परीक्षण करवाना, 164 सीआरपीसी के कथन लेखबद्ध करवाना।
   - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
   - मारपीट एवं बलवा प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
   - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
2. सड़क दुर्घटना प्रकरण कालांश–01
   - भारतीय दण्ड संहिता धारा 279, 304ए, 336, 337, 338
   - मोटर वाहन अधिनियम 133, 134, नोटिस तैयार करना
   - अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
   - वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना
   - साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
3. मारपीट व बलवा प्रकरण कालांश–02
   - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 से 327, 341, 342, 141 से 153क तक

- साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1), मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- मारपीट एवं बलवा प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना।

4. राजकार्य में बाधा प्रकरण — कालांश –02

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 186, 332, 333, 353 एवं पीडीपीपी एक्ट
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना

5. चोरी, नकबजनी आदि प्रकरणों का अनुसंधान — कालांश–03

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 378, 379, 380, 383, 411, 413, 414
- साक्ष्य अधिनियम की धारा 27, फर्द इत्तला, फर्द बरामदी तैयार करना।
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- चोरी/नकबजनी प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना।
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना।

6. धोखाधडी एवं फर्जी दस्तावेज प्रकरण — कालांश–04

- भारतीय दण्ड संहिता धारा 415 से 420 एवं 464 से 471
- अनुसंधान के दौरान की जाने वाली कार्यवाही
- विवादग्रस्त एवं विवाद रहित दस्तावेज प्राप्त करना।

- नमूना लेख प्राप्त करना एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण करवाना।
- भूमि संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर विश्लेषण करना।
- कूटरचित दस्तावेजों का अनुसंधान एवं राजस्व अधिकारियों से समन्वय।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना

7. आत्महत्या का प्रयास एवं दुष्प्रेरण — कालांश–02

- भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107 से 114 एवं 306
- घटनास्थल का निरीक्षण एवं साक्ष्य एकत्रित करना।
- साक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंक करना

8. अपहरण एवं व्यपहरण — कालांश–01

- भारतीय दण्ड संहिता धाना 359 से 368
- एफ.एस.एल. विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त करना
- घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित करना
- सक्ष्य का चार्ट बनाना, साक्ष्य का विश्लेषण एवं साक्ष्य को अपराध से लिंग करना
- प्रकरण की सम्पूर्ण अनुसंधान पत्रावली तैयार करना, तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्क्रूटनी नोट बनाना

9. मर्ग — कालांश–01

- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाना 174
- मर्ग की सम्पूर्ण पत्रावली तैयार करना
- तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करना
- वास्तविक अनुसंधान पत्रावली से स्कक्रूटनी नोट बनाना

इण्डोर द्वितीय प्रश्न पत्र

विविध अधिनियम एवं निरोधात्मक कार्यवाही

पूर्णांकः—100

कालांश—50

मॉड्यूल – एक – विविध अधिनियम **कालांश—30**

1. आबकारी अधिनियम कालांश—02
   - राजस्थान आबकारी अधिनिम —1950 धारा 16, 19, 47, 54, 54ए, 66, 66ए
   - कार्यवाही हेतु शराब की न्यूनतम मात्रा
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।
2. किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 कालांश – 04
   - किशोर न्याय अधिनियम 2015 एंव नियम 2016 की जानकारी।
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।
3. लोक सम्पत्ति हानि निवारण अधिनियम 1984 कालांश – 02
   - महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।
4. शस्त्र अधिनियम कालांश – 04
   - शस्त्र अधिनियम—1959 धारा 3, 4, 25, 27, 30, 39
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना
   - सम्पूर्ण कार्यवाही की पत्रावली तैयार करना।

5. राजस्थान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2006 कालांश – 04

- अधिनियम के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी देना।
- इस्तगासा बनाना।

6. अन्य अधिनियमों की जानकारी कालांश– 14

- एनडीपीएस एक्ट 1985
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम मय नवीनतम संशोधन
- राजस्थान जुआ अध्यादेश 1949
- ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम
- मोटर वाहन अधिनियम
- धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम
- वन्य जीव अधिनियम 1972 धारा 1 से 4 व 36
- पशु क्रूरता अधिनियम 1960
- राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995
- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005

मॉड्यूल – दो – निरोधात्मक कार्यवाही **कालांश – 20**

अ – परिशान्ति व सदाचार बनाये रखने हेतु निरोधात्मक कार्यवाही कालांश – 08

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा से 110, 116, 122, 151
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 107 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 108 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।

4. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 109 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
5. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 110 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 122 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 151 में की जाने वाली कार्यवाही, परिस्थितियां एवं इस्तगासा तैयार करना।

ब– लोक व्यवस्था बनाये रखते हेतु निरोधात्मक कार्यवाही कालांश – 12

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 129 से 132, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
2. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 से 144क, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही, निषेधाज्ञा उल्लघंन करने पर 188 भारतीय दण्ड संहिता में कार्यवाही
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 133, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
4. दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 145 व 146, परिस्थितियां एवं की जाने वाली कार्यवाही
5. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की जानकारी एवं कार्यवाही।
6. गुण्डा एक्ट एवं एच ओ एक्ट के प्रमुख प्रावधान एवं कार्यवाही।
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस एवं धारा 174 व 176 के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार करना।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्रों/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जानी है।

इण्डोर तृतीय प्रश्न पत्र

पुलिस थाना/पुलिस लाईन/विभिन्न कार्यालयों की कार्यप्रणाली एवं सामयिक विषय

पूर्णांक :– 100

कालांश :– 50

मॉड्यूल – एक – थाना प्रबन्धन एवं संचालन **कालांश – 24**

अ–विधिक प्रावधान कालांश – 06

- राजस्थान पुलिस नियम–1965 के नियम 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.64 में प्रदत्त मुख्य आरक्षी की शक्तियां, ड्युटी, अधिकार एवं कार्यक्षेत्र आदि
- राजस्थान पुलिस एक्ट – 2007 धारा 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 55, 59, 60
- राजस्थान पुलिस नियम– 2008– सामान्य जानकारी
- लोकसेवा गारण्टी अधिनियम – 2012 परिचय, सामान्य जानकारी
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियम व अपील) नियम – 1958 नियम 14, 15, 16, 17, 19

ब–दैनिक कार्यवाही कालांश – 08

- रोजनामचा लेखन, ड्यूटी लगाना, रोलकॉल की उपयोगिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना
- सूचना डेस्क, महिला डेस्क
- केस ऑफिसर स्कीम, हार्ड कोर स्कीम, सी0एल0जी
- सर्विस, पासपोर्ट, हथियार लाईसेन्स सत्यापन

- गश्त, नाकाबन्दी, पुलिस रेसपोन्स टाईम, यातायात नियन्त्रण तथा सड़क सुरक्षा के उपाय (जिम्मेदार विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना तथा उनका निदान)
- बीट प्रणाली– सम्पूर्ण बीट वर्क मोड्यूल, क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्तियों, आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, बीट में मुखबीर बनाना, क्रिमिनल इन्टेलीजेन्स, बीट का सर्वे, बीट मैप तैयार करना, सजग पड़ौसी होना, सम्बल योजना, नौकरों का रिकार्ड, सी.पी. ओ., सी.एल.जी. सदस्यों से समन्वय। बीट अधिकारी व कर्मचारी का समुचित पर्यवेक्षण।

स– द्वितीय अधिकारी / ड्यूटी ऑफिसर की भूमिका — कालांश – 04

- थाने पर प्राप्त सूचना पर कार्यवाही (पुलिस रेसपोन्स टाईम) :– परिवाद, एफआईआर, कानून व्यवस्था आपराधिक आसूचना आदि
- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना तथा कार्यवाही पुलिस लिखने का महत्व
- थाने पर उपलब्ध बल का समुचित नियोजन
- गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी
- महिलाओं एवं बालकों के सम्बन्ध में नवीनतम सम्पूर्ण विधिक प्रावधान की जानकारी

द – थाना रिकॉर्ड का संधारण — कालांश – 06

- थाने के विभिन्न रिकार्ड का संधारण– रोजनामचा, एफ0आई0आर0, जरायम रजिस्टर, वीसीएनबी, इण्डैक्स रजिस्टर, पर्चा ए व बी का संधारण, एक्वीटल रजिस्टर, सम्मन वारण्ट रजिस्टर व तारीख पेशी रजिस्टर, आवक–जावक रजिस्टर व अन्य रिकार्ड तथा संधारण की उपयोगिता
- राउडीशीट, हिस्ट्रीशीट के बारे में सम्पूर्ण जानकारी, हिस्ट्रशीट खोलना व बन्द करना, नोट डालना, अपडेट करना, निगरानी करना, उद्घोषित अपराधी बनाने की प्रक्रिया

मॉड्यूल – दो – सामयिक विषय कालांश – 26

अ – पुलिस लाईन/कार्यालयों की कार्यप्रणाली कालांश – 06

क्र0सं0	विषयवस्तु	कालांश
1.	पुलिस लाईन में सहायक उप निरीक्षक के कार्य।	2
2.	पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शाखाऐं एवं कार्य की जानकारी।	2
3.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय, वृत्ताधिकारी कार्यालय में रीडर के कार्यों की जानकारी।	2

ब – सामयिक विषय एवं व्यक्तित्व विकास – कालांश – 05

क्र0सं0	विषयवस्तु	कालांश
1.	तनाव प्रबन्धन एवं समय प्रबन्धन	1
2.	पुलिस – जनता संबंध एवं पुलिस छवि सुधारने का उपाय	1
3.	राजस्थान पुलिस की आदर्श आचार संहिता एवं पुलिस का ध्येय	1
4.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम – 1993 (केन्द्र एवं राज्य) सामान्य जानकारी –धारा–12,13,14,17,18 मानव अधिकार संरक्षण में पुलिस की भूमिका	2

स – आसूचना एवं सुरक्षा – कालांश – 05

क्र0सं0	विषयवस्तु	कालांश
1.	आसूचना से अभिप्राय एवं आसूचना संकलन की विधियां एवं वी.आई.पी. सुरक्षा	3
2.	बी.डी.एस. एवं डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक एवं सुरक्षा उपकरणों की जानकारी	1

3.	किसान, छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन, आतंकवाद एवं साम्प्रदायिकता संबंधी सामान्य जानकारी	1

द – विधि विज्ञान – कालांश – 10

क्र0सं0	विषयवस्तु	कालांश
1.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विभिन्न खण्डों की जानकारी तथा इनकी अपराध अनुसंधान में उपयोगिता, डी.एन.ए., ब्रेन मैंपिंग, नारको टेस्ट की सामान्य जानकारी, पद चिन्ह व अंगुल चिन्ह उठाना, प्रलेख परीक्षण	4
2.	चोटों के प्रकार, शव परीक्षण, मेडिकल व पोस्टमार्टम रिपोर्ट	4
3.	घटना स्थल प्रबन्धन	2

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं की जानकारी माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्रों/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जानी है।

इण्डोर चतुर्थ प्रश्न पत्र

कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी एवं सीसीटीएनएस प्रणाली

पूर्णांक :– 100

कालांश :– 40

Module A :- Basic Knowledge of Computer कालांश :– 15

1. Basic Idea of Digital devices

- Introduction to various types of Computers, Scanners, Printers & peripherals, Mobile Phones, storage devices , CCTV surveillance and other digital equipment used in Information Technology and communications.
- Networking Basics, Concept of LAN and WAN

2. Basic idea of popular operating systems:

- Windows
- Linux (Ubuntu, Centos, RedHat etc.)
- Apple Macintosh (macOS)
- Mobile OS:-Basic Idea of Android, Windows Phone , Apple iOS etc.
- Popular Web Browsing Software and their configuration

3. **Common Terms in Computer and Network security**

- Virus Threats
- Spyware Threats
- Hackers
- Phishing Threats
- BOTs
- Denial of service

- DDOS attack

Module B :- CCTNS and Various applications कालांश :– 25

4. **CCTNS - Crime and Criminal Tracking Network & Systems**

   Knowledge of Integrated Investigation Forms (IIF), Rojnamcha Aam (General Diary), Case Diary and Crime Digest in CCTNS.

- IIF1 First Information Report
- IIF2 Crime Detail Form (Naksha Mauka etc.)
- IIF3 Arrest/ Surrender Form
- IIF4 Property Search and Seizure Form
- IIF5 Final Report Form (FR/Chargesheet)
- IIF6 Court Disposal Form
- IIF7 Appeal Form

ICJS: Interoperable Criminal Justice System

5. **Various applications used in Rajasthan police :**

- Citizen Services
- RAJASTHAN POLICE WEB PORTAL
- CHILD TRACKING WEBPORTAL
- ADVANCED ANALYTICS
- RAJKAJ
- LITES
- Pay manager
- Dreams
- SSO Portal
- Sampark Portal
- NAFIS

6. **Mobile App used in Rajasthan Police:**

- RAJCOP including Communication Platform email (Rajmail), Instant Messenger (sandesh wahak), Digital Radio (Police Radio)
- RAJCOP CITIZEN
- ERSS-112
- SENIOR CITIZEN
- RajLMS
- Advance Analytics

7. **Wireless and Mobile Communication:**

- VHF and UHF communication used in Rajasthan Police
- Basic concept of Radio Trunking System
- Basic concept of Digital Mobile Radios(DMR) Tear II, Tear III etc
- Introduction to cellular mobile communication, concept of MSC and BTS
- Generations of cellular network i.e. 2G, 3G ,4G, and 5G Technology

8. **Role as First responder & handling digital devices**

हैड कानिस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक

आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	कुल कालांश	विषयानुगत अंक	विषयानुगत कालांश
	कुल	300	99		
1	शारीरिक प्रशिक्षण	100	30		
	क – पी.टी. (निर्देशात्मक योग्यता पर ज्यादा बल)	–	–	50	10
	ख – योगासन, प्राणायाम	–	–	20	10
	ग– यू.ए.सी	–	–	20	05
	ग –रोड़वॉक एण्ड रन	–	–	10	05
2	ड्रिल, टेक्टिस ऑपरेशन एवं भीड़ नियंत्रण	100	39		
	क – ड्रिल एवं टेक्टिस ऑपरेशन	50	29	–	–
	क –टर्न आउट	–	–	05	–
	ख – खाली हाथ ड्रिल	–	–	15	11
	ग – शस्त्र सहित ड्रिल, गार्ड ड्यूटी,	–	–	15	07
	घ – पेट्रोलिंग, नाकाबंदी, अम्बूश, कोम्बिंग, घेराबंदी, सर्च, कॉर्डन एण्ड सर्च	–	–	15	11
	ख – पुलिस ट्रेनिंग व भीड़ नियंत्रण	50	10	–	–
	क – लाठी ड्रिल	–	–	09	02
	ख –यातायात नियंत्रण	–	–	06	02

	ग –निर्देशात्मक योग्यता	–	–	10	–
	घ –बलवा परेड़	–	–	10	02
	ङ– भीड़ नियंत्रण एवं भीड़ प्रबंधन	–	–	10	02
	च–रेस्क्यू, साल्वेज एवं प्राथमिक चिकित्सा	–	–	05	02
3	**शस्त्र प्रशिक्षण , मस्केट्री,**	100	30	–	–
	A पुलिस शस्त्रों का ज्ञान	25	20	–	–
	1 समस्त प्रकार की राईफलों का ज्ञान	–	–	08	06
	2 9 एम.एम पिस्टल, ग्लोक पिस्टल	–	–	04	03
	3 एल.एम.जी व एस.एल.आर/इन्सास	–	–	04	03
	4 9 एम.एम कार्बाइन	–	–	04	03
	5 गैस गन एवं गैस म्यूनेशन व वज्र वाहन	–	–	03	03
	6 विस्फोटको के प्रकार, बम कैसे बनायाजाता है (बम के घटक), बम और आई.ई.डी. में अन्तर, बम लॉस्ट की क्रिया विधि / विस्फोटक डिवाईस/ विस्फोटक नमूने, आई.ई.डी.।			02	02
	B मस्केट्री व फायरिंग	75	10	–	–
	1 7.62 एम.एम एस.एल.आर	–	–	35	04
	I ग्रुपिंग 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशन टारगेट4x4	–	–	15	–
	II एप्लीकेशन 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशनटारगेट 4x4	–	–	10	–
	III स्नेप शूटिं 100 गज 5 राउण्ड लाईंग पोजीशनटारगेट 4x4	–	–	10	–
	2 9 एम.एम पिस्टल	–	–	20	03
	I एप्लीकेशन 10 गज 5 राउण्ड बैटल क्राउच पोजीशन टारगेट फिगर– 11	–	–	10	–
	II एप्लीकेशन 20 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर– 11			10	–
	9 एम.एम कार्बाइन			20	03
	I एप्लीकेशन 10 गज 5 राउण्ड बैटल क्राउच पोजीशन टारगेट फिगर–11	–	–	10	–

	II एप्लीकेशन 25 गज 5 राउण्ड स्टेण्डिंग पोजीशन टारगेट फिगर–11	—	—	10	—

मस्केट्री फायरिंग अंक विवरण :–

1. 7.62 एम.एम एस.एल.आर

ग्रुपिंग	1''–4''	5''	6''	7''–8	9''–10''	11'–12''
अंक	15	13	12	10	09	08

एप्लीकेशन	बुल	इनर	मेकपाई	आउटर
अंक	02	1.5	01	.5

2. स्नैप शूटिंग प्रत्येक हिट पर 2 अंक

नोटः–प्रशिक्षण पाठ्य क्रम में मोड्यूल्स का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा, यथा माड्यूल एक से आरम्भकर उसके पूर्ण होने पर माड्यूल नं0 दो एवं तत्पश्चात् क्रम वार पूर्ण होनेतक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :–

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्नमें 45 प्रतिशत अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रो का योग का 50 प्रतिशत (एग्रीगेट) अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) एंव निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट द्वाराप्रदत (आन्तरिक मूल्यांकन) अंको के योग का 50 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक हैं।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षायें मस्केट्री एव फायरिंग को छोड़कर बोर्ड द्वारा ली जावेगी। मस्केट्री व फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य/कमाण्डेण्ट स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जावेगी।मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंक तालिका बोर्ड के अध्यक्ष को प्रतियों में प्रस्तुत की जावेगी।
4. परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जावेगा।बोर्ड अध्यक्ष पदोन्नतिपरीक्षा के लिए आयोजित चयन परीक्षा के बोर्ड के अध्यक्ष के पद से कम नहींहोगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :–

1.	महानिरीक्षक पुलिस	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	कमाण्डेण्ट/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सदस्य सचिव